



Neutral Citation No. - 2026:AHC:12321

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 13228 वर्ष 2025

मोहम्मद सैफआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : सुधीर कुमार त्रिपाठी विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई। आज दाखिल अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. श्री सुधीर कुमार त्रिपाठी, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री सुनील कुमार, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 831 वर्ष 2024, धाराओं 103(1), 309(4), 317(2) बी.एन.एस. के अंतर्गत, थाना - चिलुआताल, जिला - गोरखपुर में, विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक का उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है। उसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। उसे मामले में केवल संदेह के आधार पर फँसाया गया है। आवेदक मृतक के साथ एक बार में गया था, परंतु शव की बरामदगी का स्थान उक्त बार से बहुत दूर है। घटनास्थल पर आवेदक और मृतक व्यक्ति की कोई सी.सी.टी.वी. फुटेज नहीं है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक को सौंपे गए आपराधिक इतिहास की व्याख्या की जा चुकी है। आवेदक दिनांक 09.11.2024 से जेल में बंद है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का दृढ़तापूर्वक विरोध किया है परंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए कथनों को विवादित नहीं कर सके।
7. प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2020) 11 SCC 648 में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध अनेक आपराधिक मामलों का लंबित रहना स्वयं में जमानत देने से इनकार का आधार नहीं हो सकता, यदि अन्यथा उसका जमानत का मामला बनता हो।
8. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए कथनों, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि आवेदक को मामले में केवल संदेह के आधार पर फँसाया गया है, और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय की यह राय है कि आवेदक ने जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9. उक्त प्रकरण अपराध में संलिप्त आवेदक - मोहम्मद सैफ को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रत्येक उतनी ही राशि की दो जमानतें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाए। (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा। (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
 10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।
 11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में किए गए अवलोकन किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर स्वतंत्र मत बनाने से प्रभावित नहीं करेंगे।
- (न्यायमूर्ति कृष्ण पहल) 19 जनवरी, 2026 (रवि कांत)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"